भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2179

जिसका उत्तर गुरुवार, 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी

2179 श्री जॉन ब्रिटास :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने मेसर्स पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम महानदी 'कोलफील्ड लिमिटेड और अन्य [स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या: 2019 का 2419] में अपने दिनांक 20.04.2021 के आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के मामले में सरकार द्वारा पालन किए जाने हेतु कुछ समय-सीमा निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास लंबित विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के नियुक्ति प्रस्तावों जो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा पार कर गए हैं, का ब्यौरा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक प्रशासनिक विषय है । उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन प्रकोष्ठ के अनुसार संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के लिए रिक्तियां उत्पन्न होने से छह मास पूर्व रिक्तियों को भरने का प्रस्ताव आरंभ करना अपेक्षित है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनजेएसी मामले में रिट याचिका (सि.) 2015 की 13 की सुनवाई करते हुए प्रक्रिया ज्ञापन के अनुपूरक में तारीख 16.12.2015 को

एक विस्तृत आदेश जारी किया । उक्त आदेश के पैरा 10 में यह कथन किया गया कि भारत सरकार प्रक्रिया ज्ञापन को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ परामर्श से अनुपूरित करते हुए अंतिम रूप दे सकती है । भारत का मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के चार ज्येष्ठतम उत्तरवर्ती न्यायाधीशों से मिलकर बनने वाले कॉलेजियम के एकमत के आधार पर विनिश्चय करेगा । उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों की प्रक्रिया के मामले में सभी सांविधानिक प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली कतिपय समय-सीमाए, अपने तारीख 20.04.2021 के मैसर्स पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड लिमिटेड और अन्य [अंतरण याचिका (सि.) सं. 2019 की 2419] के आदेश द्वारा विहित की हैं । तथापि, यह समय-सीमाएं प्रक्रिया ज्ञापन का भाग नहीं है ।

जहां तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का संबंध है, यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसमें राज्य और केंद्रीय स्तर, दोनों पर विभिन्न सांविधानिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित होता है । वर्ष 2022 से आज की तारीख तक सरकार ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में 100 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है ।

****